



Neutral Citation No.- 2026:AHC:1201

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-43213 वर्ष 2025

प्रांशु पाल उर्फ सिंटू आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: बिपिन कुमार, मो. नौशाद सिद्दीकी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री बिपिन कुमार और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.के.एस. परमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया।
3. आवेदक 2025 के मामले अपराध संख्या-103, बी.एन.एस. की धारा 103(1), 238, 70(2), 137(2), 315, पॉक्सो अधिनियम की धारा 5जी/6 और एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3(2)(वी), थाना-मंगलपुर, ज़िला: कानपुर देहात के तहत ज़मानत मांगता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है।
5. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी क्योंकि शव की पहचान नहीं की गई थी। मृत व्यक्ति के पिता द्वारा शव की पहचान की गई थी और आवेदक को केवल सीडीआर के आधार पर आरोपी बनाया गया था, जिसके तहत आवेदक मृत व्यक्ति के साथ नियमित संपर्क में था। आवेदक के मोबाइल और मृतक के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मोबाइल का स्थान सीडीआर के किसी भी समन्वय विवरण से मेल नहीं खाता है, इस प्रकार, यह झूठे निहितार्थ का एक स्पष्ट मामला है।

6. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक को संदेह के आधार पर आरोपी बनाया गया है क्योंकि मृतक व्यक्ति की मां ने कहा है कि मृतक ने उसे बताया था कि वह आवेदक के साथ नियमित बातचीत कर रही थी, इस तरह, वह ज़मानत का हकदार है। आवेदक 6.3.2025 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

7. तत्सम्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों और इस तथ्य पर भी विवाद करने में असमर्थ है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष या ठोस सबूत सामने नहीं आया है, प्रथम दृष्टया मुझे आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला लगता है। ज़मानत आवेदन की **अनुमति** है।

9. आवेदक- प्रांशु पाल उर्फ सिंदूर, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

6 जनवरी, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.